न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 01/2012 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये रवि जाधव प्रवर्तन निरीक्षक, भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री बाबूलाल खटीक पिता सुखलाल खटीक नि. करेडा तह. माण्डल फर्म प्रोपराईटर मैसर्स श्री चामुण्डा टेलीकॉम एण्ड किराना स्टोर, हनुरामन दरवाजा भीम रोड करेडा तह. माण्डल जिला भीलवाडा
2. श्रीमती लेहरी देवी रेगर पत्नी श्री डालचन्द रेगर निवासी ज्ञानगढ तह. माण्डल जिला भीलवाडा वाहन मालिक आर.जे. 3781 मारूती वैन

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से उपस्थित
2. श्री गिरीश कौशिक अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 की ओर से उपस्थित
3. श्री सुनील आगाल अधिवक्ता – विपक्षी 02 की ओर से उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 26.04.2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 10.01.2012 को सांय 5.30 बजे उपाधीक्षक पुलिस वृत्त गंगापुर ने करेडा से दूरभाष पर सूचना दी जिस पर प्रवर्तन अधिकारी माण्डल / भीलवाडा, प्रवर्तन अधिकारीं शाहपुरा, प्रवर्तन अधिकारी गुलाबपुरा/आसीन्द मौके पर पंहूचे । उपाधीक्षक पुलिस ने बताया कि दिनांक 10.01.2012 को जब बडू से वापस करेडा की तरफ आ रहे थे तब श्री चामुण्डा टेलीकॉम एण्ड किराणा स्टोर, हनुमान दरवाजा से से भीमरोड पर स्थित लोहे की केबिन के बाहर खडी मारूती वैन आर.जे.06 यू.ए. 3781 के गैस किट में केबिन मालिक बाबूलाल खटीक पुत्र सुखवाल खटीक निवासी करेडा तहसील माण्डल द्वारा रिफलिंग मशीन जो रेगूलेटर द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर नम्बर 107432 (आई.ओ.सी.एल.) से जुडा हुआ था, द्वारा मारुती वेन आर.जे. 06 यू.ए. 3781 में गैस भरी जा रही थी । मौके पर तलाशी लेने पर केबिन में एक अतिरिक्त रिफलिंग मशीन मय रबड पाईप व रेगूलेटर व विद्युत तार, दो घरेलु गैस सिलेण्डर (आई.ओ.सी.एल.) भरे हुए पाये गये । घरेलु गैस का दुरूपयोग किये जाने से जांच हेतु उक्त मारूती वेन, तीन घरेलु गैस सिलेण्डर (आई.ओ.सी.एल.) व दो रिफलिंग मशीनें मय रेगूलेटर व विद्युत तार, रबड पाईप करेडा थाने लेकर आ गये । केबिन में चालिस गैस डायरियां, जिनमे बाईस (आई.ओ.सी.एल.) एवं अठारह (बी.पी.सी.एल.) की थी, को भी कब्जे में लिया गया। उपाधीक्षक पुलिस द्वारा कब्जे में लिये गये उल्लेखित वाहन मारूति वेन नम्बर आर.जे. 06 यू.ए. 3781, तीन घरेलु गैस सिलेण्डर (आई.ओ.सी.एल)

जिनके क्रमांक क्रमशः 321747 गैस की मात्रा 13.9 किग्रा , 321241 गैस की मात्रा 14 किग्रा. एवं 107432 गैस की मात्रा 12 किग्रा. व दो रिफलिंग मशीनें मय दो रेगूलेटर रबड पाईप, विद्युत तार थाना परिसर करेडा में पाये गये जिनके साथ उक्त चालीस डायरियां पुलिस थाना करेडा पर उपलब्ध पाई गई । आरोपी बाबूलाल पुत्र सुखलाल खटीक निवासी करेडा तहसील माण्डल केबिन मालिक मैसर्स श्री चामुण्डा टेलीकॉम एण्ड किराना स्टोर, हनुमान दरवाजा से भीमरोड करेडा एवं मारूती वेन आर.जे.06 यूए 3781 के वाहन मालिक श्रीमती लेहरी देवी पत्नी डालचन्द रेगर निवासी ज्ञानगढ तहसील माण्डल द्वारा रिफलिंग मशीन की मदद से घरेलु गैस जिसका उपयोग केवल खाना बनाने के लिये किया जाना चाहिये , को अवैध एवं अनाधिकृत रूप से वाहन में भरा जाकर एल.पी.जी. आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं । कब्जेराज ली गई मारूति वेन को थानाधिकारी करेडा श्री परशुराम पुत्र लालूराम पंवार निवासी सिविल लाईन्स अजमेर हा.मु. थानाधिकारी करेडा पी. एस. को पृथक सुपुर्दगीनामा बनाकर सुपुर्दगी में दी गई। कब्जेराज लिये गये उक्त तीनों घरेलु गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी.एल. कुल गैस की मात्रा 39.9 किलो, दो रिफलिंग मोटर मय दो रेगुलेटर, दो रबड पाईप व विद्युत तार को पृथक सुपुर्दगीनामा बनाकर मैसर्स अरिहन्त भारत गैस ग्रामीण वितरक भारत गैस करेडा के पार्टनर श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र माणकलाल जैन निवासी बडा मन्दिर के पास करेडा, माण्डल की सुपुर्दगी में दिये गये । फर्द मौका में वर्णित अनिमितताओं से स्पष्ट हैं कि फर्म मैसर्स श्री चामुण्डा टेलीकॉम एण्ड किराना स्टोर, हनुमान दरवाजा से भीमरोड करेडा एवं मारूती वेन आर.जे.06 यूए 3781 के वाहन मालिक श्रीमती लेहरी देवी पत्नी डालचन्द रेगर निवासी ज्ञानगढ तहसील माण्डल द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के क्लाज 3(ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया है। अतः निवेदन हैं कि जब्तशुदा मारूती वेन आर.जे.06 यूए 3781, तीन घरेलु गैस सिलेण्डर (आई.ओ.सी.एल.) मय 39.9 किलो गैस व दो रिफलिंग मशीन मय दो रेगुलेटर , दो रबड पाईप व विद्युततार माल को राजसात कराने का आदेश फरमावे ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.01.2012 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी 01 की ओर से दिनांक 06.03.2013 को जवाब प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी । दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि घरेलु गैस का दुरूपयोग किये जाने से जांच हेतु उक्त मारूती वेन , तीन घरेलु गैस सिलेण्डर (आई.ओ.सी.एल.) व दो रिफलिंग मशीनें मय रेगूलेटर व विद्युत तार, रबड पाईप करेडा थाने लेकर आ गये । केबिन में चालिस गैस डायरियां, जिनमे बाईस (आई.ओ.सी. एल.) एवं अठारह (बी.पी.सी.एल.) की थी, को भी कब्जे में लिया गया। उपाधीक्षक पुलिस द्वारा कब्जे में लिये गये उल्लेखित वाहन मारूति वेन नम्बर आर.जे. 06 यू.ए. 3781, तीन घरेलु गैस सिलेण्डर (आई.ओ.सी.एल.) जिनके क्रमांक क्रमशः 321747 गैस की मात्रा 13.9 किग्रा , 321241 गैस की मात्रा 14 किग्रा. एवं 107432 गैस की मात्रा 12 किग्रा. व दो रिफलिंग मशीनें मय दो रेगूलेटर रबड पाईप, विद्युत तार थाना परिसर करेडा में पाये गये जिनके साथ उक्त चालीस डायरियां पुलिस थाना करेडा पर उपलब्ध पाई गई । फर्म मैसर्स श्री चामुण्डा टेलीकॉम एण्ड किराना स्टोर, हनुमान दरवाजा से भीमरोड करेडा एवं मारूती

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

वेन आर.जे.06 यूए 3781 के वाहन मालिक श्रीमती लेहरी देवी पत्नी डालचन्द रेगर निवासी ज्ञानगढ तहसील माण्डल द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के क्लाज 3(ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया हैं। अतः निवेदन हैं कि जब्तशुदा मारूती वेन आर.जे.06 यूए 3781 , तीन घरेलु गैस सिलेण्डर (आई.ओ.सी.एल.) मय 39.9 किलो गैस व दो रिफलिंग मशीन मय दो रेगुलेटर , दो रबड पाईप व विद्युततार माल को राजसात कराने का आदेश फरमावे ।

विपक्षी सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जब्ती की समस्त कार्यवाही करेडा थाने में पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में की गयी हैं । मौके पर पुलिस नहीं गयी थी । मौके पर जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के कोई अधिकारी नहीं गये । मौका पर्चा मौके पर नहीं बनाया गया हैं । विपक्षी सं. 01 को झूठा फंसाया गया हैं । निशुल्क एवं सेवाभाव से विपक्षी द्वारा कार्य किया गया । वेन में गैस किट ही नहीं लगा हुआ था । ऐजेन्सी मालिक का एवं गांव वालो के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। विपक्षी सं. 01 के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत प्रकरण खारिज फरमाया जावे ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज पर्चा मौका दिनांक 10.01.2012 की सत्यापित छायाप्रतियां , फर्द अभिग्रहण दिनांक 10.01.2012 की सत्यापित छायाप्रतियां, फर्द सुपुर्दगीनामा की सत्यापित छायाप्रतियां, श्री चामुण्डा टेलिकॉम एण्ड किराणा स्टोर के अनुज्ञा पत्र की सत्यापित छायाप्रतियां, मारूति वेन नं. आर जे 06 यू ए 3781 के आर.सी. की सत्यापित छायाप्रतियां, जब्तशुदा 40 गैस डायरियों की सूची व छायाप्रतियां प्रस्तुत किये गये हैं ।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। दिनांक 10.01.2012 को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बडू से करेडा की तरफ आते वक्त चामुण्डा टेलिकॉम एण्ड किराणा स्टोर , हनुमान दरवाजा से भीम रोड स्थित लोहे की केबिन के बाहर खडी मारूति वेन आर0जे0 06 यूए 3781 सफेद रंग जिसके पीछे कांच पर 'पधारो म्हारे देश' लिखा हुआ हैं , के गैस किट में केबिन मालिक बाबूलाल खटीक पुत्र सुखलाल खटीक निवासी करेडा द्वारा रिफलिंग मशीन जो रेगुलेटर द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर नं. 107432 से जुड़ा हुआ था । जिसके द्वारा मारूति वेन आर0जे0 06 यूए 3781 में गैस भरी जा रहीं थी । ज्योंहि केबिन के पास जाँच करने पहूंचे तो वाहन मालिक व गैस भरने वाला दोनों भाग निकले । केबिन की तलाशी लेने पर उसमें एक अतिरिक्त रिफलिंग मशीन मय रबड पाई व रेगुलेटर व विद्युत तार , दो घरेलु गैस सिलेण्डर भरे हुये पाये गये । केबिन में 40 गैस डायरियां भी मिली, जिन्हें कब्जेराज लिया गया । विपक्षी सं. 01 ने ग्रामवासियों के लिये सेवा में तत्पर रहने से घरेलू गैस सप्लाई के लिये खाली गैस सिलेण्डर एवं डायरी तथा गैस का मूल्य अपने पास रखना स्वीकार किया । इस प्रकार विपक्षी सं. 01 व 02 घरेलु गैस को अवैध एवं अनाधिकृत रूप से वाहन में भरा जाकर एलपीजी आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन किया गया एवं विपक्षी सं. 01 व 02 घरेलु गैस के अवैध कारोबार में लिप्त होना पाये जाते हैं। विपक्षी सं. 01 व 02 का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होता है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए इस प्रकार है–"(1)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जहां कोई (आवश्यक वस्तु) उसके संबंध में धारा 3 के अधीन किये गये आदेश के अनुसरण में (अभिगृहित की जाती है) वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट अयुक्तियुक्त विलम्ब के बिना, उस जिले या प्रेसीडेन्सी नगर के , जिसमें ऐसी (आवश्यक वस्तु का अभिग्रहण किया जाता हैं) कलक्टर को की जायेगी और चाहे ऐसे आदेश के उल्लघंन के लिये अभियोजन संस्थित किया जाता हैं या नहीं , (यदि कलक्टर ऐसा करना समीचीन समझता हैं तो वह इस प्रकार अभिग्रहीत आवश्यक वस्तु को अपने समक्ष निरीक्षण के लिये पेश किये जाने का निर्देश दे सकेगा और यदि उसका समाधान हो जाता हैं कि) तो वह (क) ऐसे अभिगृहीत की गई आवश्यक वस्तु के , (ख) जिस पैकेज , आवेष्टक या पात्र में ऐसी आवश्यक वस्तु पायी जावे उसके और (ग) ऐसी आवश्यक वस्तु को ले जाने में प्रयुक्त किसी पशु, गाडी, जलयान या प्रवहण के , अधिग्रहण का आदेश कर सकेगा ।

प्रवर्तन अधिकारी श्री रवि जाधव भीलवाडा ने दिनांक 10.01.2012 को मारूति वेन आर.जे. 06 यूए 3781 , तीन घरेलु गैस सिलेण्डर (आई.ओ.सी.एल.) मय 39.09 किलो गैस व दो रिफलिंग मशीन मय दो रेगुलेटर, दो रबड पाईप व विद्युत तार जब्त किया गया । इस प्रकार विपक्षी केबिन मालिक बाबूलाल खटीक पुत्र सुखवाल खटीक निवासी करेडा तहसील माण्डल फर्म मैसर्स श्री चामुण्डा टेलीकॉम एण्ड किराना स्टोर, हनुमान दरवाजा से भीमरोड करेडा एवं मारूती वेन आर.जे.06 यूए 3781 के वाहन मालिक श्रीमती लेहरी देवी पत्नी डालचन्द रेगर निवासी ज्ञानगढ तहसील माण्डल द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के क्लाज 3(ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ठहरता हैं एवं जब्तशुदा मारूति वेन आर.जे. 06 यूए 3781 , तीन घरेलु गैस सिलेण्डर (आई.ओ.सी.एल.) मय 39.09 किलो गैस व दो रिफलिंग मशीन मय दो रेगुलेटर, दो रबड पाईप व विद्युत तार माल को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं केबिन मालिक बाबूलाल खटीक पुत्र सुखवाल खटीक निवासी करेडा तहसील माण्डल ,फर्म मैसर्स श्री चामुण्डा टेलीकॉम एण्ड किराना स्टोर, हनुमान दरवाजा से भीमरोड करेडा एवं मारूती वेन आर.जे.06 यूए 3781 के वाहन मालिक श्रीमती लेहरी देवी पत्नी डालचन्द रेगर निवासी ज्ञानगढ तहसील माण्डल से जब्त सरकार किया गया वाहन मारूति वेन आर.जे. 06 यूए 3781, तीन घरेलु गैस सिलेण्डर (आई.ओ.सी.एल.) मय 39.9 किलो गैस व दो रिफलिंग मशीन मय दो रेगुलेटर , दो रबड पाईप व विद्युततार माल को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को उक्त जब्तशुदा माल को निस्तारण करने हेतु प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

26/04/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाडा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)